

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 7(2)(17)/रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./21/9283

जयपुर, दिनांक 21-09-21

आदेश

गृह (ग्रुप-7) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 17.09.2021 द्वारा राज्य के सरकारी/निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु गृह (ग्रुप-7) विभाग के आदेश दिनांक 12.08.2021 की पालना में विभाग द्वारा संचालित महाविद्यालय स्तरीय एवं विद्यालयों स्तरीय कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन कोविड-19 के रोकथाम हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों आदेश 8879 दिनांक 19.08.2021 के अनुसार कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों को दिनांक 20.09.2021 से खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 7(2)(17)/रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./21/9284-96 जयपुर, दिनांक 21-09-21  
प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, (समस्त).....।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण योजना) मुख्यावास।
7. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, .....
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक/खण्ड सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
10. उप निदेशक (प्रचार) मुख्यावास।
11. संयुक्त निदेशक (एनालिस्ट प्रोग्रामर), मुख्यावास को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
12. सहायक निदेशक (छात्रावास) मुख्यावास।
13. आदेश पत्रावली।

(रतन लाल अटल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)